

उद्धरण खतोनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 1600370 ग्राम का नाम : शाहनेवाजपुरमाझी(हवेली अवध) तहसील : रावर जमात : अयोध्या फसली वर्ष : 19-10-2022 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022) उद्धरण क्रमांक : 1600370/22/01/30

खाता खतोनी क्रम संख्या : खातेदार का नाम पिता पति सरदार का नाम निवास : खातेदार द्वारा देय मातृपंजी या लगान परिसर न मान्यता प्राप्त या उरुजा साराण टिप्पणी : उनकी संख्या तथा टिप्पणी संकेत और आना देने वाले अधिकारी का पद

1	2	3	4	5	6	7-12	13
सोती / /	भौगिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मातृपंजी या लगान	परिसर न मान्यता प्राप्त या उरुजा साराण टिप्पणी : उनकी संख्या तथा टिप्पणी संकेत और आना देने वाले अधिकारी का पद		
01044		287ड.	0.0600				
		288ख	0.0200				
		337/2अ	0.1900				
		381	0.0900				
		599ग	0.5100				
		695ख	0.1700				
		1138मि.	0.0400				
		570मि.	0.0300				
		560/1414	0.0300				
		9	1.1400	₹ 0.00			

कुल गाटे- नौ कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव एक चार शून्य शून्य (हैक्टियर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: Prem Chandra Singh



सहाय अधिकारी: RAKESH तहसील: रावर जमात: अयोध्या दिनांक एवं समय: 19-10-2022 11:23:47

उपरोक्त उद्धरण खतोनी का वैधिकरण <http://upbhulckh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

0 यह उद्धरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा उक्त डिजिटल हस्ताक्षर इस हस्ताक्षरित है।



Handwritten initials and marks

Handwritten signature and date: 20/10/2022



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 166190 ग्राम का नाम : परसना : शाहनेवाजपुरमाझा(हवेली अवध)
 भाग : 1
 उद्धरण क्रमांक : 166190/2022/01/21
 फसली वर्ष : 1121-1122/20/01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022

खाता खतीनी क्रमांक : 01042
 खातेदार का नाम : पिता पति सरधक का नाम : निवास : भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष :
 खातेदार का नाम : परिवर्तन सम्बन्धी आगमन उम्मेका नाराय टिप्पणी :
 खातेदार का नाम : देव माहाप्रनारी : उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आगमन देने
 या लगान : वाते अधिकारी का पद

1. कुल गाँव : 1
 2. कुल क्षेत्रफल : 6
 3. कुल भू-राजस्व : ₹ 0.00
 4. कुल भू-राजस्व : शून्य रूपये

01042 नाला / /

प्रत्येक गाँव का क्षेत्रफल (हे.)	369ज	0.0700
कुल क्षेत्रफल	1339	0.0180

कुल गाँव : 1 कुल क्षेत्रफल : 6 कुल भू-राजस्व : शून्य रूपये कुल भू-राजस्व : शून्य रूपये

Data Digitally Signed by: Prem Chandra Singh




सक्षम अधिकारी: BAKESH
 तहसील: सैदर जयपुर: अयोध्या
 दिनांक एवं समय: 14-10-2022 11:21:06

उपरोक्त उद्धरण खतीनी का वेब-सिगनेचर <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

उद्धरण खतीनी का वेब-सिगनेचर <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

195



सत्य प्रमाणित




Handwritten mark

सीमा प्रमाण-जोसिहपुर

गांव-साधेवाडी, पोस्ट-वरगमा-हरेली तालुका
हस्ताक्षर-साधेवाडी-300000

अफलाग


साधेवाडी




31/10

साधेवाडी

साधेवाडी





3110

Q

पेपक,

सुरेश चन्दा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि वस्तुओं का पुनर्ग्रहण एवं विनियम हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियों वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियों थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।


2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई भी चीजें सौंप सकती है, जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चक्रवर्ती अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ



इस संहिता के पारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में पुनर्विदित/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उत्तरे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्षन्तर्ष सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-



4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अन्वय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों का ही है।

- (ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।
- (ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों के आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बट्ट भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों/खनिजों में सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगा। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" के नाम जमा कराया जायेगा।
- (घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य



उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हों, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

-4-

-4-

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि पश्नगत योजनाएं क्षेत्र में अर्थात् 180 डिग्री पर लागू हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बाहर में पड़ती हो।

- (ड) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।
- (च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वास्तियों की सामूहिक उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती है। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।
- (छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का



नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्गृहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

-5-

- वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।
- (झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्गृहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जायेगा।
- (ञ) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्गृहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 78 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रामणीय अधिकार प्राप्त भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये हैं। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्गृहण नहीं होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।
- (ट) पुनर्गृहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2015 के नियम 55 के उप नियम (1) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।
- (ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।
- (ड) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्गृहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथा आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्गृहण किया जायेगा और पुनर्गृहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।



- (त) भूमि की कीमत तथा पूजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्गृहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।
- (थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्गृहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

-6-

- प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्गृहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्गृहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।
- (ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्गृहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्गृहण का आदेश जारी किये जायेंगे।
- (न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्गृहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में पट्टमासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।
- (प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्गृहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में पट्टमासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।
- 4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोज्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के संवर्त विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।



इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

-7-

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन संस्थाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ यह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टर तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित



जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्गठन के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाँव, सड़कियाँ, रिकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्गठन के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्यवादों में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के वाध्याकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियाँ जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाला, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खेवादे के गड्डे, पशुचर, हडावर, शमशान स्थल व तालाब/पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामिणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्गठन/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्गठन की जाने वाली भूमि के बराबर ही उन्नी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्गठन एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित यांत्रणा की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि



स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/पकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से पदशित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिगृहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं, अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण के नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जायेगा। यदि संस्था पुराना आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिगृहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हडायर, खद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के



स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/पकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीत मानचित्र अलग-अलग रंगों से पदशित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होती है, अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाये। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु विकल्पक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा पशुचर, खलिहान, हडाडर, खेत के गडदे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के



आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम -10-

-10-

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पणित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियों इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौतिक स्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिकोण दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं के लिए क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की नहत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस पतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भांति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम



वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जॉब रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, श्मशान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु स्पष्ट मार्ग दिया जायेगा। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के पबन्धन में निर्मित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय को प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कच्चा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कच्चा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियों निर्धारित की गयी हैं। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत



स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्गठन आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्गठित कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

-12-

हस्तान्तरित करने की सूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्गठन आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्गठन हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिनों में पूर्ण कर ली जाये। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/41 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियाँ यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्डे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,



पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उपलब्ध कराया जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कबाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु

150 एकड़
-13-

-13-

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	2.00	एकड़
(ब) 132 के.वी.	3.50	एकड़
(स) 220 के.वी.	10.00	एकड़
(द) 400 के.वी.	50.00	एकड़
(य) 765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्गृहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच) तथा (छ) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



3. चकचन्दी आसुवत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गाई फाइल।

आफिस
(जय प्रकाश नगर)
विशेष सचिव।

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्गठन के आदेशों का मानक आकार एवं

आकार एवं
आदेश

संख्या..... दिनांक

शासनादेश संख्या..... दिनांक..... का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (30प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या दिनांक..... द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं..... जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त..... संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक..... के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गठित की जा रही)



								है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आजा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

टिप्पणी- रिक्त स्थान में उक्त शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की जायेगी।

-2-

-2-

आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्गृहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण
30 जून, 20...../31 दिसम्बर, 20..... को समाप्त होने वाला षटमास,
जिला....., तहसील....., परगना.....

क्र०सं०	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्गृहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्गृहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या एवं रकबा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य	पुनर्गृहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम
---	--	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	--



भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके पुनर्ग्रहण किया गया	लिए सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

www.up.nic.in

9



प्रयक,

रेणुका कुमार,
अपन मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- गममन्न मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- गममन्न जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

तखनऊ: दिनांक - 06 जुलाई, 2020

विषय- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

सहोदय,

शासन द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निम्नवत् निर्धारण किया गया है :-

1- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक- 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-1)

2- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहां राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-2)

3- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की कार्यवाही नितान्त अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा 77 से आच्छादित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित की जायेगी या धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय के माध्यम से की जायेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति लोक उपयोगिता और उपयुक्तता सम्बन्धित कलेक्टर एवं मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



4- राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या- 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उनके शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

5- इस संवध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवारत विभाग, वाणिज्यिक विभाग तथा भारत सरकार के विभागों हेतु भूजमी परिवर्तन/पुनर्गठन/विनियम की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-11/2020/689(1)/एक-1-2020-20(5)/2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ममस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चक्रवर्ती आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. म्याफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. ममस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के ममस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
धनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



(संलग्नक : 1)

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों और अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 3 जून, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), तथा (छः) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तु को वापस लेने की, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, उक्त संहिता की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा 101(2) के परन्तुक की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ वह फाइनेन्शियल हेतु, खण्ड (5) के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अप्रैक्षित हो, प्रत्यायोजित करती हैं। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जाएगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



कार्यालय जिलाधिकारी अयोध्या।

पत्रांक/254/डीएलआरसी/श्रेणी परिवर्तन- हवाई पट्टी /2021 दिनांक 18 जून, 2021
आदेश

शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक-03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक-06.07.2020 के प्रस्ताव-3 में व्यवस्था दी गयी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 से आच्छादित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनियम की कार्यवाही नितान्त अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा 77 से आच्छादित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण किया जाता है तो तत्तनी है अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्रामपंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित की जायेगी या धारा 10 के अन्तर्गत विनियम के अन्तर्गत उक्तके विनियम की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनियम किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति लोक उपयोगिता और उपयोगिता सम्बन्धित कलेक्टर एवं मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 लखनऊ दिनांक-06.07.2020 में निहित प्रविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी सदा अयोध्या द्वारा दिये गये सरसुति सहित प्रस्तावके आधार पर निम्न ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित निम्नांकितभूमियों का श्रेणी परिवर्तननि शूल्क किया जाता है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे०में	वर्तमान भूमि श्रेणी	श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त भूमि श्रेणी	अन्य विवरण
1	जनौरा बा.न.पा.	902	0.040	6(4) खाद गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
2	जनौरा बा.न.पा.	1157मि.	0.043	6(4) खाद गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
3	जनौरा बा.न.पा.	1161मि.	0.006	6(4) खलिहान	5(3)(ड) बंजर	
4	जनौरा बा.न.पा.	1161मि.	0.049	6(4) खाल निकालने हेतु	5(3)(ड) बंजर	
5	जनौरा बा.न.पा.	625खमि.	0.759	6(1) धोबीघाट	5(3)(ड) बंजर	
6	जनौरा बा.न.पा.	625मि.	1.265	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर	
7	जनौरा बा.न.पा.	625कमि.	2.101	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर	
8	जनौरा बा.न.पा.	1261	0.059	6(4) खाद गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
9	जनौरा बा.न.पा.	1037मि.	0.334	6(1) बाहा	5(3)(ड) बंजर	
10	जनौरा बा.न.पा.	1266/1336	0.013	6(1) गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
11	जनौरा बा.न.पा.	1271मि.	0.063	6(4) खलिहान	5(3)(ड) बंजर	
12	जनौरा बा.न.पा.	1271मि.	0.1020	6(4) खलिहान	5(3)(ड) बंजर	
13	जनौरा बा.न.पा.	945	0.058	6(4) खाद गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
14	जनौरा बा.न.पा.	957	0.032	6(4) खाद गड़डा	5(3)(ड) बंजर	
15	गजा	152मि.	0.025	6(4) खाद गड़डा	6(1) नवीन परती	
16	गजा	692	0.1200	6(1) बाहा	5(3)(ड) बंजर	
17	गजा	155क	0.626	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर	
18	गजा	148	0.1400	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर	
19	गजा	681कमि.	0.059	6(1) तालाब	5(1) नवीन परती	

letter 2017.doc



Q

3659

अग्रपत्र

सदर

नदेशों का

नाम न सुनिश्चित

SD/05

29/06/2021

1133

गजा

34/6/21

20	गला	681कमि	0.046	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
21	धरमपुर साहादत	125मि	0.1940	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
22	धरमपुर साहादत	126मि	0.033	6(4) कुम्हारी मिट्टी	5(3)(ड) बंजर
23	धरमपुर साहादत	158	0.089	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
24	धरमपुर साहादत	297	0.019	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
25	धरमपुर साहादत	521	0.027	6(4) खाद गड़ढा	5(3)(ड) बंजर
26	धरमपुर साहादत	546	0.082	6(4) खाल निकालने का स्थान	5(3)(ड) बंजर
27	पूरा हुसैन खा	215	0.025	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
28	पूरा हुसैन खा	216मि	0.044	6(4) खाद गड़ढा	5(3)(ड) बंजर
29	पूरा हुसैन खा	245	0.004	6(4) होलिका दहन	5(3)(ड) बंजर
30	पूरा हुसैन खा	278मि	0.0025	6(4) खाद गड़ढा	5(3)(ड) बंजर
31	फिरोजपुर	80	0.164	6(1) जलमग्न तालाब	5(3)(ड) बंजर
32	कुशमाहा	990 / 1236	0.022	6(2) खाद गड़ढा	5(3)(ड) बंजर
33	कुशमाहा	1049मि	0.423	6(1) तालाब	5(3)(ड) बंजर
34	कुशमाहा	1050खमि	0.1700	6(2) धोबीघाट	5(1) नवीन परती
35	कुशमाहा	1050खमि	0.0830	6(2) धोबीघाट	5(3)(ड) बंजर
36	कुशमाहा	968	1.1890	5(3)(1) पशुवरचारगा ह	5(3)(ड) बंजर
37	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.3700	5(3)(ड) बंजर	5(1) धोबी घाट
38	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.0130	5(3)(ड) बंजर	6(1) गड़ढा
39	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.1710	5(3)(ड) बंजर	6(4) खलिहान
40	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.1310	5(3)(ड) बंजर	6(4) खाल निकालने हेतु
41	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.0330	5(3)(ड) बंजर	6(4) कुम्हारी मिट्टी
42	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	1.189	5(3)(ड) बंजर	5(3)(ग) पशुवर
43	अब्दूसराय बा0न0पा0	495कमि	0.3210	5(3)(ड) बंजर	6(4) खाद गड़ढा
44	अब्दूसराय बा0न0पा0	926मि	0.1105	5(3)(ड) बंजर	6(1) बाहा
45	अब्दूसराय बा0न0पा0	926मि	0.0065	5(3)(ड) बंजर	6(4) खाद गड़ढा
46	भदोली वुजुर्ग	294मि	4.2800	5(3)(ड) बंजर	6(1) तालाब
47	भदोली वुजुर्ग	294मि	0.500	5(3)(ड) बंजर	6(1) धोबी घाट
48	रुहियावा	1143	0.1420	5(3)(ड) बंजर	6(1) धोबी घाट
49	गजा	337गमि	0.303	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
50	गजा	370ग	0.076	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
51	गजा	463	0.025	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
52	गजा	698	0.076	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
53	गजा	752मि	0.164	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
54	गजा	696 / 1047	0.059	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब

DLRC letter 2017.doc



55	गञ्जा	1035	0.035	5(3)(क) बंजर	६(१) तालाब
56	गञ्जा	260कमि.	0.074	5(3)(क) बंजर	6(1) तालाब
57	गञ्जा	434	0.034	5(1)नवीन परती	6(1) तालाब
58	गञ्जा	326	0.025	5(1)नवीन परती	6(1) तालाब
59	गञ्जा	258	0.013	5(1)नवीन परती	6(4) खाद गड़ढा
60	गञ्जा	259मि.	0.012	5(1)नवीन परती	6(4) खाद गड़ढा
61	पूरा हुरीन खां	529मि.	0.004	5(3)(ड) बंजर	6(4) होलिका दहन
62	मडना माझा	2क/29मि	0.3435	5(3)(ड) बंजर	6(1) बाडा
	योग		17.021		

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी
अयोध्या।

संख्या व दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि: उपजिलाधिकारी सदर, अयोध्या को इस निर्देश के साथ के अधिसूचना
सारमा-688/एक--1- 2020-20(5)/2016 लखनऊ दिनांक-06.07.2020 के काम में रजस्व
अभिलेखों में अंकन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
अयोध्या



दिनांक : 26 जुलाई, 2022

2205/सि०ख०अयो०/परियोजना.

जिलाधिकारी,
अयोध्या।आपर मुख्य सचिव,
आयुक्त महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से बाधित ड्रेनों के वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में।

सर्वप्रथम यह बताया जाता है कि जनपद अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए विजन 2047 में परतावित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक : 23.06.2022 को आयुक्त, अयोध्या की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा सिंचाई खण्ड, अयोध्या को निर्देशित किया गया था कि जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से बाधित हुए बरसाती ड्रेनों को अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप परियोजना प्रस्ताविका तैयार करके और उचित प्रावधान का शीघ्र विभागीय स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करे। उक्त के अनुमोदन में अधिपानी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या द्वारा समिति द्वारा सुझाये गये एलाइनमेन्ट के अनुसार 'अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण से बाधित ड्रेनों के वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण' की परियोजना प्रस्ताविका तैयार किया गया है जिसकी लागत धनराशि ₹ 3,346.93 लाख है। उल्लेखनीय है कि आवश्यकता अनुसार एलाइनमेन्ट एवं लेवल आदि में बदलाव पर लागत धनराशि विचलित हो सकती है। परियोजना की एक प्रति संलग्न कर अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

0/c

दिनांक : 22/07/सि०ख०अयो०/तददिनांक : 26/07/2022

प्रति भूमि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को उनके निर्देश के क्रम में कृपया सूचनार्थ।
3. अधिपानी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या।

0/c
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

संख्या : २५०९ /सि०ख०अयो०/प्रोजेक्ट/
प्रेषक,

दिनांक : ०८, सितम्बर, 2022

जिलाधिकारी
अयोध्या।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से बाधित ड्रेनों के वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या : 2207/सि०ख०अयो०/परियोजना, दिनांक : 26.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ जनपद अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए विजन डोक्यूमेंट-2047 में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित "मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट" के निर्माण से अवरुद्ध हुये बरसाती ड्रेनों के निर्माण के सम्बन्ध में आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या की अध्यक्षता में दिनांक : 23.06.2022 को आहूत बैठक में अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप परियोजना/प्राक्कलन बनाने एवं उसका शीघ्र विभागीय स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धी दिये गये निर्देश के अनुक्रम में रु० 3.346.93 लाख की लागत का प्राक्कलन तैयार कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उन्हीं तक शासन स्तर पर प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है जिसके कारण इस सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने की संभावना नहीं है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत उच्च प्राक्कलन/प्राक्कलन का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय


(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी
अयोध्या।

संख्या : /सि०ख०अयो०/तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या को उनके निर्देश के क्रम में कृपया सूचनार्थ।
3. अतिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या।

जिलाधिकारी
अयोध्या।



समिति की आख्या

अयोध्या हवाई अड्डा की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:-

1. उपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अयोध्या
2. अधिसूचकी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
3. अधिसूचकी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अयोध्या।
4. अधिसूचकी अभियन्ता लो० नि० वि० एन० एच० सुल्तानपुर
5. अधिसूचकी अभियन्ता निर्माण खण्ड अयोध्या 01, आवास विकास परिषद् अयोध्या।
6. श्री अरुण चर्च तिवारी, सहायक अभियन्ता नगर निगम।
7. श्री अरुण कुलशर्मा, Jt-GM(engg-) Project-EIC, AAI
8. श्री अरुण कुमार नियोजक अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।
9. उप जिलाधिकारी, सदर।

समिति द्वारा हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त अयोध्या हवाई अड्डे की जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:-

1. अयोध्या हवाई अड्डा कुल तीन चरणों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण मार्च 2023 तक आग्रेगेशनल किया जाना प्रस्तावित है।
2. सुल्तानपुर रोड तथा चौदह कोसी मार्ग के मध्य क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कुल 03 माईनर कमशः सर्रेठी माइनर, किरोजपुर माइनर तथा उरारू माइनर तथा दो नाले कमशः चाँदपुर हरबंशपुर ड्रेन एवं सनैया ड्रेन वर्तमान में स्थित हैं। हवाई अड्डे के प्रथम चरण में सिंचाई विभाग की एक कौन्सल उरारू माइनर तथा चाँदपुर हरबंशपुर ड्रेन प्रभावित हो रही है। द्वितीय चरण में सनैया ड्रेन, सर्रेठी माइनर तथा किरोजपुर माइनर प्रभावित हो रही है। इस प्रकार एयरपोर्ट के विस्तारकरण में उपरोक्त 3 माइनर निष्प्रयोज्य हो जाएंगे तथा 2 ड्रेनों के प्रभावित होने से सुल्तानपुर रोड तथा चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के मध्य सम्पूर्ण क्षेत्रफल की जल निकासी प्रभावित होगी, जिस हेतु वर्तमान उक्त नालों को पुनर्नियोजित/पुनर्ररेखित किये जाने की आवश्यकता होगी जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र के वर्षा जल एवं एयर पोर्ट से निकलने वाले पानी को भी कॅटर करते हुये प्रभावी निस्तारण किया जा सके।
3. एयरपोर्ट साइट के उत्तर-पूर्वी छोर पर निकटतम सर्रेठी ड्रेन है जो कि बैसिंह ड्रेन में मिलती है और बैसिंह ड्रेन का पानी तिहुरा ड्रेन के माध्यम से सरयू नदी में खारेज होता है तथा एयर पोर्ट के उत्तर दिशा में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर तिलैया ड्रेन स्थित है जो कि अंतिम रूप से सरयू नदी के डाउन स्ट्रीम में दशरथ समाधि के समीप नदी से मिलता है।
4. नव नियोजित नाले की प्रस्तावित चौड़ाई लगभग 05 मी० होगी, जिस हेतु भूमि कच किये जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

समिति का मतव्य

सुल्तानपुर रोड से एयर पोर्ट के मध्य क्षेत्र तथा एयर पोर्ट के जल निकासी हेतु नया लगभग 05 मी० चौड़ा नाला बनाया जाय। प्रस्तावित है जो कि सुल्तानपुर रोड से शुरू होकर एयर पोर्ट के उत्तर दिशा में अंतिम रूप से सर्रेठी माइनर पर मिलेगा।

S.F. ADA.

Ayodhya

Dr. Prakash Chandra
Kumar Hyderabad



(2)

उक्त नाले के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिसमें सम्पूर्ण अलाइनमेंट में सुलतानपुर राड से एयर पोर्ट के द्वितीय टर्मिनल तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही 30 मी० चौड़ी राड के राइट ऑफ-वे में 05 मी० नाला बनाया जाना उचित होगा तथा एयर पोर्ट के द्वितीय टर्मिनल से एयर पोर्ट के तृतीय चरण के अंतिम छोर पर सर्रेटी ड्रेन तक एयर पोर्ट को दी जाने वाली भूमि में से ही 05 मी० भूमि नाले के निर्माण हेतु लिया जाना उचित होगा। एयर पोर्ट के द्वितीय टर्मिनल से एयर पोर्ट के तृतीय चरण के अंतिम छोर पर सर्रेटी ड्रेन तक की लम्बाई लगभग 5 किमी० आती है। यदि उक्त स्टैच में नया नाला एयर पोर्ट की भूमि के स्थान पर उच्च भूमि कट कर बनाया जाता है तो उसमें लगभग 30000.00 वर्ग मी० भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान समय में कठिन कार्य है तथा नाले को बनाये जाने पर अधिक व्यय आयेगा एट जिससे नाला बनाये जाने में विलम्ब हो सकता है।

Ghanshyam
P.I., AOA

S. P. D., PWD
Ayodhya

S. P. D., PWD
Ayodhya

S. P. D., PWD
Ayodhya

समिति के विशेष सदस्यो
के मन्त्रालय ले सएम।
ADM FIR
Ayodhya

3/11/0

कायालय
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, अयोध्या

Annexure - 23

पत्रांक:- 2686 /सिं0ख0अयो0/ड्रेन/ दिनांक 21-09-2022

विषय:- चाँदपुर हरवंश ड्रेन एवं एयरपोर्ट परिक्षेत्र के जल निकासी के सम्बन्ध में
उपजिलाधिकारी, सदर जनपद- अयोध्या।

एयरपोर्ट निर्माण में सिंचाई विभाग की उसरु माइनर, फिरोजपुर माइनर, सरठी माइनर तथा चाँदपुर हरवंश एवं सनैया ड्रेन के कैचमेन्ट में पड़ने वाले क्षति का अधिग्रहण किया गया है, उक्त क्षेत्र एवं अयोध्या एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया, तदोपरान्त समिति के सुझाव के अनुरूप सिंचाई खण्ड, अयोध्या द्वारा उपर्युक्त कैचमेन्ट के जल को सरयू नदी तक प्रवाहित करने हेतु एक वैकल्पिक ड्रेन के निर्माण की परियोजना बनाई गयी है। उक्त परियोजना जिलाधिकारी महोदय द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं अद्येतर कार्यवाही हेतु अपने मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन को प्रेषित किया जा चुका है।

विभाग द्वारा प्रेषित परियोजना में चाँदपुर हरवंश ड्रेन के कैचमेन्ट एवं एयरपोर्ट परिक्षेत्र से प्राप्त होने वाले समस्त जल के निकासी का प्रावधान रखा गया है।

संलग्नक: 1-कमेटी रिपोर्ट।
2-कार्ययोजना अनुमोदन हेतु
श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय का पत्र।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, अयोध्या

